

(8) समानता एक गणितीय अवधारणा है जिसमें बड़े पैमाने पर आयात होते हैं, और इसे पारंपरिक और सैद्धांतिक शीर्षकों में बांटा जा सकता है और सीमित मंडी दिया जा सकता है।" इस कथन के संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से व्याख्या के संदर्भ में -याचालय द्वारा दिए गए परिचर्चा का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। इस विचार ने मनमानी के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का सुरक्षा को इस प्रकार सुदृढ़ दिया गया है। [8M]

उ समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श है रूप में बड़े शताब्दियों से मानव-समाज की प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। लेकिन समानता की अवधारणा, काल और परिस्थिति के अनुसार, विषयवस्तुशील रहा है।

समानता की अवधारणा कालमग्न सभी धर्मों में रहा है। जो अपने स्वरूप में पारंपरिक और सैद्धांतिक है, क्योंकि समानता का धार्मिक पहलू सामाजिक व्यवहारिता से दूर ही जाता है। यही समानता, केवल नैतिकता पर टिकी होती है, एक अधिकार के रूप में नहीं।

फ्रांसीसी लोग से अपनी समानता की अवधारणा प्राचीनकालीन समानता की अवधारणा से अलग थी। अब समानता

सिनी से दया या नैतिकता का परिणाम नहीं
वर्तित अविचार से रूप में आया।

अब, समानता अपने आप
में कई पहलुओं से समझे जा सकते हैं। इसे
विभिन्न पक्ष हैं -

- राजनीतिक समानता
- सामाजिक समानता
- आर्थिक समानता, इत्यादि।

उपरोक्त क्षेत्रों में समानता से
लाभार्थी समान अवसर और व्यवहार हैं।

फिर भी, समानता का अर्थ
बाल और परिस्थितियों से अलग-अलग रहता है।
उदाहरण के लिए, समाजवादी एवं
अन्य विचारों में समानता को अलग-अलग
रूप में परिभाषित करते हैं। साथ ही
प्रत्येक समाज समानता की मांग अपने आवश्यकतानुसार
करता है। जैसे फ्रांस की क्रांति, भारत का
स्वतंत्रता संग्राम इत्यादि।

इस प्रकार हम देखते हैं
कि समानता से पारंपरिक अर्थों में समानता
सीमाओं से सीमित नहीं किया जा सकता है।

समानता की अवधारणा की भारत के
संविधान निर्माताओं ने भी मौलिक अधिकारों के
अन्तर्गत अनुच्छेद 14-18 में समाहित किया गया है।
इस समानता का मुख्य तत्व है कि किसी एक समुदाय या
गروه के विषेषों का समान संरक्षण।

मौलिक अधिकार (समानता) के
संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय
पर संशोधित आदेश पारित किए गए हैं, जो
निम्नलिखित हैं -

- ① रॉडरी प्रसाद बनाम भारत संघ
- ② गोल्डस्मिथ बनाम पंजाब राज्य
- ③ इन्द्रावत नन्दन भारती बनाम केन्द्र राज्य

① रॉडरी प्रसाद बनाम भारत संघ :- इस मामले में
सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार (समानता)
के संशोधन माता/संविधान संशोधन की
अनुच्छेद 13(2) के अन्तर्गत विधि नहीं
माना जायेगा।

② गोल्डस्मिथ बनाम पंजाब राज्य :- इस मामले में भी
सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्विचार बनाम नहीं

(3) संस्थान-एन आरटी काद (1973) : यह काद,
राज्य के मॉन्टिड इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण
तक है। मूल हाथ के सिद्धांत की
परिष्कारिता की गई।

मूल हाथ के अनुसार,
राज्य (संसद) समानता के अधिकार की
न तो छीन सकती है और न ही नून
इस सकती है। संसद अब, मॉन्टिड
अधिकारों की मनमाने ढंग से नही छीन
सकती है। मूल अधिकारों के सीमित
करने वाली कोई भी विधि उस चीज
तक शून्य मानी जाएगी।

लेकिन, क्या वास्तव में
मॉन्टिड अधिकार व्यवहारिक उस माग के
उपलब्ध है जो मूल हाथ में है?
इसके लिए निम्नलिखित तथ्यों पर गौर
करना आवश्यक है —

(1) आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता
और क्षेत्रीय असमानता मॉन्टिड अधिकारों
तक पहुंच की सीमित करती हैं।

(ii) डायरीकरण, वैश्विककरण, निजीकरण के बाद
मूल अधिकारों पर व्यापक रूप से नकारात्मक
प्रभाव पड़ा है।

वैश्विक कंपनियों के कारण
स्वायत्तता पर खतरा बढ़ा है, वही निजीकरण
के कारण राज्य का दायरा सीमित हुआ है।
अधिकरण है, फेसबुक और गूगल जैसी कंपनी
विजता (डेटा सुरक्षा) है, वही
निजीकरण कंपनी या संस्था पर मौलिक अधिकार
जैसी अवधारणा लागू नहीं होती है।

अतः वहलने परिलक्ष्य है मौलिक
अधिकारों की रक्षा है राज्य की अपनी
'कंप्यूटर' का व्यवहार और सत्यापनकारी
अपयोग उदने की आवश्यकता है।